

16-3
श्वशुर

पत्नीवली पेश हुई वकील प्राची उपपत्नीवली
का अक्लोकन करने पर जाहेर है कि
वकील प्राची को डिनार्क 22-2-2018
ड्यावालय द्वारा बार-बार निर्देश दिए
जाने के बावजूद प्राची (पत्नी) केवल पत्नीवली
की मुखनिवास के घर से तलबी हु
प्रश्न. मा. व. डा. के नोटिस हु P/F नोटिस
पेश नही किये गये। जिससे प्रकरण
में यह प्रमाणित है कि वकील प्राची

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

द्वारा द्यावालय का उद्देश्य की पालना
की गई है। इ. प्र. प्र. धारा 25
अनु. का उद्देश्य 9 निचम 2 पर के
प्रोविजो अनुसार रखा जा किवा प्रो
डि। मिसल मिसल सुमार होकर
मंवर से कम हो।